कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा(छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com / Fax no - 07864-284278

क्रमांक 2451 /मु.चि.अ./स्था/डी.एम.एफ./2022–23 सुकमा, दिनांक 22/08/2022

विज्ञापन

जिला सुकमा अन्तर्गत जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अन्तर्गत चल साक्षात्कार के आधार पर संविदा नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए वाक इन इन्टर व्यू दिनांक 29.08.2022 से प्रतिदिन अपरान्ह 03 से 04 बजे पद पूर्ति होने तक कार्यालीन कार्य दिवस पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0) में आयोजन किया जायेगा ।

अतः इच्छुक उम्मीदवार सम्पूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजो के साथ उपस्थित हो सकते है पदो का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	विज्ञापित पदों की संख्या	प्रस्तावित वेतन प्रतिमाह प्रति पद	आवश्यक अर्हता
1	**शिशुरोग विशेषज्ञ**	01	जिला प्रशासन के द्वारा लिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अनुरूप	M. D. Paediatric/D.C.H
2	**स्त्री रोग विशेषज्ञ**	01		M.D. Gyno. / D.G.O
3	**मेडिसीन विशेषज्ञ**	01		M.D.Medicine
4	**पैथोलॉजिस्ट**	01		M.D.Pathology./ D.C.P.
	नाक,कान,गला रोग विशेषज्ञ	01		MS. ENT
5	**रेडियोलॉजिस्ट**	01		M.D./ Diploma in Radiology
6	**नेत्र रोग विशेषज्ञ**	01		MS Opth.
7	**चिकित्सा अधिकारी**	08		M.B.B.S

01. विज्ञापन के संबंध में आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्ते तथा अन्य विस्तृत जानकारी जिला सुकमा के वेबसाईट www.sukma.gov.in में देखा जा सकता है।

नोट :– प्रथम दिवस के उपरान्त आने वाले अभ्यार्थी कृपया रिक्त पदो की जानकारी इस मो.न. 7587283733 में पता करने के उपरान्त ही उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)

नियम एवं शर्तें :–

01. उल्लेखित पदों पर छत्तीसगढ़ के निवासी को प्रथिमिकता दी जावेगी ।

02. 01 चयन प्रक्रिया :– पद कमांक 01 से 07 हेतु

(अ) शैक्षणिक योग्यता	–	70 अंक
(ब) अनुभव (प्रतिवर्ष –02 नम्बर)	–	10 अंक
(स) चल साक्षात्कार	–	20 अंक

02 चयन प्रक्रिया :– पद कमांक 07 से 15 हेतु

(अ) शैक्षणिक योग्यता	–	90 अंक
(ब) अनुभव (प्रतिवर्ष –02 नम्बर)	–	10 अंक

03. उक्त पदों पर 01 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी एवं मानदेय एकमुश्त देय होगी।

04. उम्मीद्वार की आयु 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथ अधिकतम् 64 वर्ष होना चाहिए । परन्तु युवाओ को प्रथमिकता दी जावेगी ।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा – निर्देश :–

01. यह नियुक्ति, न ही नियमित है और न संविदा है। यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत् आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है, इनके स्थान पर नियमित/संविदा नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी ।

02. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच की जाएगी, इसमें सही नहीं/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करने का सर्वाधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।

03. यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिए की जा रही है, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही सेवा वृद्धि दी जा सकती है। तथा कार्य संतोषजनक नही होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने हेतु शासन पक्ष स्वतंत्र होगा ।

04. मानदेय – सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा ।

05. सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

06. उक्त पद के लिए पदवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी भर्ती से हाने वाले तक जो भी पहले हो वैध होगा ।

07. चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण मे यह पाया जाता है कि उम्मीद्वार के द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध मे कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा ।

08. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गई हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहें हों। उन्हें अपात्र उम्मीद्वार की संज्ञा में रखा जएगा।

09. भर्ती की प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)